और १०४ के उत्तर में लोक सभा के पटल पर क्रमश: २४-५-५७ और १३-११-५७ को पहले ही रखी जा चुकी हैं । बोर्ड द्वारा तैयार अथवा स्वीकृत की गई योजनाओं और उन पर की गई कार्यवाही का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १००]

(ग) दो ।

क्लर्कों की भर्ती

१३०६. श्री राधा रमण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा कार्यालयों के जिन १४५ क्लर्कों को १९५६ में टाइप-राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी वे कब भर्ती किये गये थे;

(ख) क्या भर्ती के समय इन क्लर्कों के लिये टाइप-राइटिंग का जानना आवश्यक माना गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) इन १४५ अस्थायी क्लर्कों को विभिन्न मंत्रालयों ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न तारीखों पर नियुक्त किया था ।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार में क्लर्क रूप में रहने की यह शर्त है कि वह व्यक्ति उचित समय में टाइप-राइटिंग में विशेष योग्यता प्राप्त कर ले । ऐसा माना जाता है कि नियुक्त होने वाले हर एक क्लर्क को अपनी सेवा की शर्त की जानकारी होती है ।

त्रिपुरा में भूमि का सर्वेक्षण और बन्दोबस्त

१३०७. { श्री राधा रमण :
श्री दशरथ देब :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में भूमि के सर्वेक्षण और बन्दोबस्त का काम किस हद तक पूरा हो गया है; और

(ख) काम की प्रगति धीरे होने के यदि कोई कारण हों, तो वे क्या हैं ।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) सदर सब डिवीजन के २४९.४७ वर्ग मील क्षेत्र में फैले गांवों की सीमा निर्धारण का कार्य पूरा हो चुका है जिसमें ६६ सीमा निर्धारित किये हुए गांव हैं (इसमें २१६ भूतपूर्व गांव तथा बस्तियां आती है) भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा दिये गये ९८३ कंट्रोल प्वाइंट के आधार पर ८६ वर्ग मील में फैले २२ गावो के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है । ३२ वर्ग मील क्षेत्र में फैले १० गांवों का भूमि-कर सर्वेक्षण और लगभग २१ वर्गमील में खानापूरी का काम भी पूरा हो चुका है ।

(ख) प्रशिक्षित व्यक्तियों का न मिलना ही इस काम में मुख्य बाधा है । इसके लिये पर्याप्त अधिकारियों की स्वीकृति दे दी गई है और एक डिप्टी डायरेक्टर ने तो कार्यभार संभाल भी लिया है । स्थानीय व्यक्तियों को सर्वेक्षण के काम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे काम जल्दी पूरा हो ।

हिन्दी की परीक्षायें

१३०८. श्री राधा रमण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी प्रबोध और हिन्दी प्रवीण की अक्तूबर, १९५७ में होने वाली परीक्षाओं की व्यवस्था के लिये कितने व्यक्ति रखे गये थे;

(ख) इन कर्मचारियों पर कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या इन परीक्षाओं के काम को किसी बोर्ड को सौंप देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उस बोर्ड का नाम क्या है और उसे सौंपने का क्या कारण है ?